



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940

No. 117]

NEW DELHI MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

फा. सं. एस.प्रशा/ III/XI/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 की 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2007 में,—

(क) विनियमन 17 में

(i) उप-विनियमन 6 में, अनुच्छेद (क) में, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा नामतः—

“बशर्ते कि बोर्ड अपने विवेक से व्यक्तिगत परामर्शदाता की नियुक्ति को तीन वर्ष से आगे विस्तारित कर सकता है”;

(ii) उप-विनियमन 6 में, अनुच्छेद (ग) में, उप-अनुच्छेद (ii) में वर्ष “2012 के लिए वर्ष “2018” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-विनियमन 6 में, अनुच्छेद (ज) में, शब्द "अनुमोदन प्राप्त करेगा" के पश्चात, "बोर्ड" शब्द को "अध्यक्ष" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची - III इस प्रकार से प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः —

"अनुसूची - III"

व्यक्तिगत सलाहकार का स्तर	एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक
I	₹ 50,000 प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ
II	₹ 75,000 प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ
III	₹ 1,00,000 प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ
IV	₹ 1,10,000 प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ
V	₹ 1,30,000 प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./488/17]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को सं. सा. का. नि. 36 (अ) दिनांक 30 नवंबर, 2007 के तहत अधिसूचित किया गया और उसके बाद अधिसूचना [एफ सं. एस-एडमिन / II / XI / 2012] दिनांक 10.04.2012 को संशोधित किया गया।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

F. No. S-Admn/II/XI/2012—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act 19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement: -

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2018.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Regulations, 2007, -

(a) in regulation 17, in sub-regulation (6), -

(i) in clause (a), the following proviso shall be added, namely: -

“Provided that the Board in its discretion may extend the period for engagement of an individual consultant beyond three years”;

(ii) in clause (c), in sub-clause (ii), for the year “2012”, the year “2018” shall be substituted;

(iii) in clause (j), after the words “obtain approval of”, for the word “Board”, the word “Chairperson” shall be substituted;

(b) for Schedule III, the following shall be substituted, namely: -

“SCHEDULE III

Level of Individual Consultant	Lump sum monthly remuneration
I	₹ 50,000 with 10 per-cent increase on completion of each year
II	₹ 75,000 with 10 per-cent increase on completion of each year,
III	₹ 1,00,000 with 10 per-cent increase on completion of each year.
IV	₹ 1,10,000 with 10 per-cent increase on completion of each year.
V	₹ 1,30,000 with 10 per-cent increase on completion of each year.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.III/4/Exty./488/17]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R.36(E) dated 30th November 2007 and subsequently amended *vide* notification [F.No.S-Admn/II/XI/2012] dated 10.04.2012.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.03.30 19:52:47
+05'30'